

तारीख  
हुकम

C/No. 49/2024 उनवान लक्ष्मण सिंह / उमराव सिंह

03/6/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.।  
जवाब... हेतु समय चाहा/वास्ते... पत्रावली  
दिनांक 17/6/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
अराँई

17/6/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वाडी उपस्थित / प्रति.  
संख्या 1 से 3 व 6 ते 11 का जवाब एड किया  
जाला है। वास्ते बहस प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 312  
पर पत्रावली दिनांक 01/07/2024 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
अराँई (अजमेर)

C/No 49/2024 उनवान लक्ष्मण सिंह v/s उमराव सिंह

01/7/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उप.। वकील  
पार्टी ने हमारे सम्मुख निवेदन किया कि उक्त  
पुस्तक में सहमति से प्राप्त रिपोर्ट के आदेश  
हो चुके हैं अतः धारा 312 के तहत प्रा. पत्र  
को खारिज कर दिया जाये। हमारे द्वारा  
वकील वाडी/पार्टी को बहस पुस्तक जारी किया  
वकील वाडी/पार्टी द्वारा आदेशिका पट No. 1/2024  
अक्ति किया गया। अतः प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा  
312 मज. का अधि. (49/2024) उनवान लक्ष्मण  
सिंह v/s उमराव सिंह को इसी स्तर पर  
खारिज किया जाला है। प्रा. पत्र फैसल मुकाम  
होकर नम्वर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
अराँई (अजमेर)

No objection T.I  
Vijay  
1/7/2022



राजस्थान  
प्रशासनिक  
सहायक  
श्रीमान  
Presented by Adv. Vijendra Singh J.